गुरु घासीदास विश्वविद्यालय
(नैक द्वारा "A++" ग्रेड प्राप्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर–495009 (छ.ग.)
दूरभाष : 07752–260209, फैक्स : 07752–260154
ई–मेल : ggv.registrar@gmail.com, वेबसाईट : www.ggu.ac.in

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya
(A Central University with "A++" Grade Accredited by NAAC)
Koni, Bilaspur-495009 (C.G.)
Phone : 07752-260209, Fax : 07752-260154
E-Mail : ggv.registrar@gmail.com, Website : www.ggu.ac.in

क्रमांक 193 /बै.प्र./कार्यपरिषद/2024 बिलासपुर, दिनांक : 19-08-2024

।। कार्यालयीय ज्ञाप ।।

कार्यालयीय ज्ञाप क्रमांक 291/बै.प्र./का.प./2022 बिलासपुर दिनांक 05.05.2022 द्वारा प्रो0 ए.के. सक्सेना, आचार्य, संगण विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को कार्यपरिषद में संशोधित परिनियम 11(1)(vii) के प्रावधानानुसार सदस्य के रूप में नामांकित किये जाने संबंधी सूचना जारी की गई थी। प्रो0 ए.के. सक्सेना, आचार्य, संगण विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कार्यपरिषद की सदस्यता से मुक्त किये जाने संबंधी पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रो0 ए.के. सक्सेना द्वारा प्रस्तुत पत्र को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप कार्यपरिषद में इस श्रेणी से सदस्य का पद रिक्त हो गया है।

तदनुसार कार्यपरिषद में रिक्त हुए सदस्य के पद के विरूद्ध केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, संशोधित परिनियम 11(1)(vii) के प्रावधानानुसार कुलपति महोदय द्वारा प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, आचार्य अंग्रेजी विभाग को कार्यपरिषद में सदस्य नामांकित किया गया है।

कार्यपरिषद में सदस्य के रूप में ारा प्रो0 मनीष श्रीवास्तव, आचार्य अंग्रेजी विभाग का कार्यकाल दिनांक 04.05.2025 को समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव (कार्यवाहक)

पृ0 क्रमांक 194 /बै.प्र./कार्यपरिषद/2024 बिलासपुर दिनांक : 19-08-2024

प्रतिलिपि :–

1) सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2) संयुक्त सचिव (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
3) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
4) कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ।
5) संबंधितों की ओर सूचनार्थ।
6) प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबपटल/निदेशक, आईक्यूएसी/ प्रशासन/अकादमी/परीक्षा/वित्त/विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7) कुलपति के सचिव को कुलपति महोदय के सूचनार्थ प्रेषिंत।

कुलसचिव (कार्यवाहक)